



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP84005559035128Y

e-Stamp

11397/26

Certificate No.

: IN-UP84005559035128Y

Certificate Issued Date

: 31-Mar-2026 10:37 AM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up14176304/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1417630458154656953511Y

Purchased by

: AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD

Description of Document

: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement

Property Description

: GATA NO-302 KA AND ETC VILLAGE-BELI TEH-MLG LKO

Consideration Price (Rs.)

: 2,51,100

First Party

: ARJUN AND ETC

Second Party

: AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD

Stamp Duty Paid By

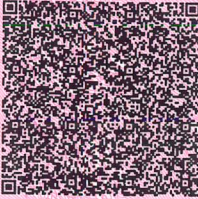
: AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 2,51,100

(Two Lakh Fifty One Thousand One Hundred only)

11533



Please write or type below this line



For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

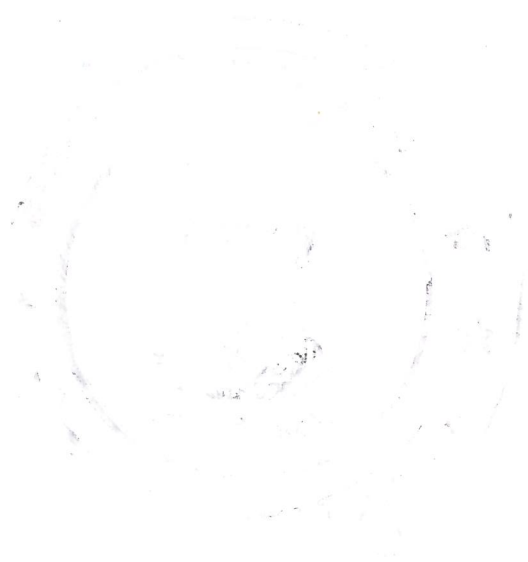
Authorised Signatory

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

FH 0000910042

SHIL



0000010045

मालियत – 35,85,000 / –

स्टाम्प – 2,51,100 / –

दर – 37,00,000 / – प्रति हे०

ई० स्टाम्प प्रमाण पत्र सं०– IN-UP84005559035128Y

दिनांक – 31/03/2026

COLLABORATION AGREEMENT

यह सहयोग समझौता (इसके बाद "यह समझौता") 18/03/2024 को किया गया है और 18/03/2024 से प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीच:—

अबुन

Amar

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



प्रथम पक्ष

1- अर्जुन पुत्र माता प्रसाद

पता- ग्राम-जौरास, तहसील- हैदरगढ़,
जिला-बाराबंकी उ०प्र०।

मो०न०-7355545716

2- अखिलेश कुमार पुत्र बुद्धू लाल

पता- ग्राम-बेली खुर्द, सठवारा, बेली,
लखनऊ उ०प्र०।

मो०न०-9161797632

द्वितीय पक्ष

अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा०लि०

910, 9पलोर, मरकेनटाइल हाउस,

के०जी० मार्ग न्यू दिल्ली-11000

अधिकृत हस्ताक्षरी-

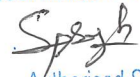
समरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रभान प्रताप सिंह

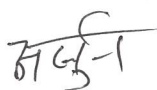
पता- आर/ओ, ए-6/18 राम विहार शिवाजी पुरम इन्फ्रन्ट
ऑफ विक्रमादित्य स्कूल सेक्टर-11 इन्द्रानगर लखनऊ उ०प्र०।

मो०न०-7007123394

1. द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य कर रही है। उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय-विक्रय, प्रकाशन, प्रचार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाही इत्यादि का अधिकार अनुसूची "ए" में दिये गये भूमि पर दिया जा रहा है।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि क्षेत्रफल 0.9687 हेक्टेयर के योगदान के बदले में प्रतिफल, आपसी सहमति के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने पर तय किया जायेगा।
3. प्रथम पक्ष इस समझौते के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिये अनुसूची "ए" सम्पत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा दूसरे पक्ष को सौंप देगा। यह समझौता परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा।
4. प्रथम पक्ष आपसी सहमति से तय प्रतिफल के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।
5. दूसरा पक्ष इस समझौते की शर्तों के अनुसार सीमाओं का बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा।
6. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि वे किसी भी अदालत में उपरोक्त प्रतिफल और जुर्माने (जैसा कि इस समझौते के तहत लागू है) के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान के लिए दावा नहीं करेंगे और कोई भी याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी याचिका व्यर्थ और अवैध होगी और वे दूसरे पक्ष के आदेशों का पालन करेंगे।
7. प्रथम पक्ष एतद्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची "ए" सम्पत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.


Authorised Signatory







का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि व उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची "ए" सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में, प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिये वह अकेला जिम्मेदार होगा। यदि कोई हो, तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जायेगी यह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. प्रथम पक्ष इसके द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है।
9. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची "ए" सम्पत्ति के शीर्षक को बेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
10. दूसरा पक्ष अनुसूची "ए" सम्पत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से किसी भी अन्य भूमि को शामिल करने का हकदार होगा, पहले पक्ष को इस संदर्भ की ऐसी शर्तों पर आपत्ति नहीं होगी।
11. दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची "ए" संपत्ति विकसित करेगा (इस समझौते के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुर्नगठित और नया आकार दिया जा सकता है।
12. प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सह-डेवलपर्स के रूप में अन्य कम्पनी/कम्पनियों को शामिल करने का विशेष अधिकार है और उनके साथ अलग समझौता करने का अधिकार है।
13. दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची "ए" एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिये सरकार, राज्य, केन्द्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से सम्पर्क करने के लिए अधिकृत है।
14. भूमि, प्रत्येक मूल भूखंड से विनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिये उपयोग की जाएगी।
15. ले-आउट योजना, अनुसूची "बी" के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।
16. विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन, दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किया जायेगा। विकसित भूखंडों के लिए

हस्ताक्षर

Aumar

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



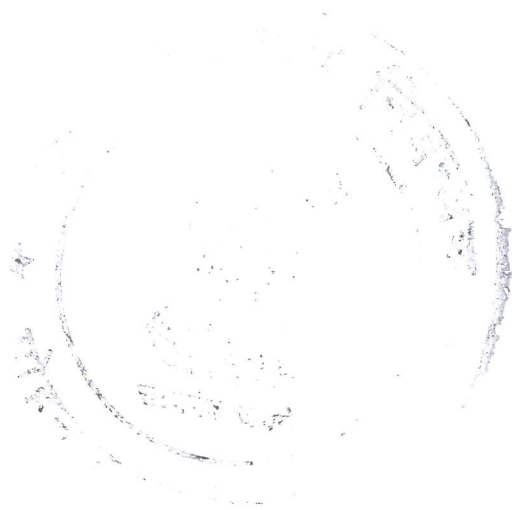
- आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुर्नगठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।
17. दूसरा पक्ष, भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिये कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।
 18. दूसरा पक्ष, तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और समझौतों में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने का हकदार होगा, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस समझौता पत्र में उल्लेखित भूमि के ऊपर विकसित किये जाने वाले भूखण्ड पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सम्मिलित रूप से ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएस/बिक्री-विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।
 19. राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गये एस्करो खाते/रेरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।
 20. यदि दूसरा पक्ष किसी वित्तीय संस्थान से परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है, वित्तीय संस्थान से समस्त देय/ब्याज इत्यादि, द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा इसमें प्रथम पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा।
 21. दूसरा पक्ष निर्माण एवं विकास और/समग्र प्रबंधन के लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्ता नियुक्त कर सकता है।
 22. लइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
 23. दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना, परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टिसम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को उक्त उद्देश्य के लिये तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार हैं दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
 24. प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है, दूसरे पक्ष या परियोजना के निर्माण और विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए दूसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को परियोजना का लोगो, नाम और बेचने/बाजार/ब्रांडिंग करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रोजेक्ट और संबंधित कंपनियों को ब्रांड करें।

महेश

Suman

For Agrasheel Intratech Pvt. Ltd.

Sp38
Authorised Signatory



25. दूसरा पक्ष समक्ष प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
26. दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की बिक्री के सम्बन्ध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की बिक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।
27. यदि कोई भी पक्ष यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी असहमति के समय प्रचलित दर पर एसबीआई एमसीएलआर प्लस 1 प्रतिशत ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे या अथवा दोनों पक्षों द्वारा किये गये व्यावसायिक नुकसान, जो भी ज्यादा हो का भुगतान करना होगा।
28. दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा। स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार विकास भूमि पर परियोजना में भवन विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार होगा।
29. दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।
30. दूसरे पक्ष को संबंधित अधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, ले-आउट, समामेलन, उप-प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, कार्यों, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, क्षतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना, जैसा कि अनुमोदन और अनुमोदन के लिए आवश्यक हो सकता है। उक्त ले-आउट, समामेलन, उप-विभाजन, योजनाएं और विशिष्टताएं और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाएं और/या आईओडी जारी करना और परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा।
31. संशोधन किसी भी नियम, शर्तों में कोई वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन नहीं यहां उल्लिखित प्रावधान इनमें से किसी पर भी वैध, सक्रिय, प्रभावी और बाध्यकारी नहीं होंगे जब तक इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।
32. इस अनुबन्ध पत्र के अनुच्छेद अथवा अनुबन्ध पत्र के बाहर यदि किसी प्रकार का मतभेद, विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी विचार-विमर्श से समाधान निकालेंगे। यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद, मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1996

अर्जुन

Arun

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Spang
Authorised Signatory

आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के तहत रहेगी। मध्यस्थता की सुनवाई लखनऊ (उ०प्र०) या कोर्ट लखनऊ जूरिडिक्शन का होगा।

33. शासी कानून यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होना चाहिये।
34. सहयोग अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।
35. परियोजना का रेरा पंजीकरण के उपरान्त प्रथम पक्ष का प्रतिफल जो कि विकसित भूमि है का हस्तांतरण द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कर दिया जायेगा।

अनुसूची "ए"

प्रथम पक्ष एवं भूमि का विवरण

(क)– अर्जुन पुत्र माता प्रसाद

आधार संख्या– 301465561577

पैन संख्या– CDDPA8633B

पता– ग्राम–जौरास, तहसील– हैदरगढ़,

जिला–बाराबंकी उ०प्र०।

1– भूमि खाता सं० 00484, गाटा सं० 302क क्षेत्रफल– 0.253हे०

चौहददी:–

- पूर्व – भूमि खसरा संख्या 268, 269, 270 एवं 273
- पश्चिम – भूमि खसरा संख्या 302 का शेष भाग
- उत्तर – भूमि खसरा संख्या 299 एवं 301
- दक्षिण – भूमि खसरा संख्या 267 एवं 302 का शेष भाग

मकुन

Arunav

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

2-भूमिखाता सं0 89, गाटा सं0 302ख क्षेत्रफल- 0.506हे0

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 266, 267

पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 303, 304

उत्तर-भूमि खसरासंख्या 300, 301

दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 302 का शेषभाग

3-भूमिखाता सं0 00484, गाटा सं0 267 क्षेत्रफल- 0.126हे0

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 268, 302

पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 302

उत्तर-भूमि खसरासंख्या 302

दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 266

(ख)-अखिलेशकुमारपुत्र बुद्धू लाल

आधारसंख्या- 603520448509

पैनसंख्या-DQYPK7344L

पता-ग्राम-बेली खुर्द, सठवारा, बेली,

लखनऊ उ0प्र0।

1-भूमिखाता सं0 407, गाटा सं0 295 क्षेत्रफल- 0.0075हे0

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 294
पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 309
उत्तर-भूमि खसरासंख्या 293
दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 296 व 297

2-भूमिखाता सं0 406, गाटा सं0 296 क्षेत्रफल- 0.047हे0

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 297
पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 308 एवं 309
उत्तर-भूमि खसरासंख्या 296 का शेषभाग
दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 299

3-भूमिखाता सं0 406, गाटा सं0 300 क्षेत्रफल- 0.0127हे0

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 301
पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 307
उत्तर-भूमि खसरासंख्या 299
दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 302

4-भूमिखाता सं0 407, गाटा सं0 301 क्षेत्रफल- 0.0165हे0

अर्जुन

Amar

For Agrasheel Infrastructure Pvt. Ltd.
Spzyl
Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202600822014151

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11397

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3585000 स्टाम्प शुल्क- 251100 बाजारी मूल्य - 3585000 पंजीकरण शुल्क - 35850 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 35930

श्री अर्जुन,

पुत्र श्री माता प्रसाद

व्यवसाय : अन्य

निवासी: ग्राम जौरास तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी उ०प्र०

महर्षि



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/03/2026 एवं 01:48:09 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ

31/03/2026

संजय कुमार गौतम

निबंधक लिपिक

31/03/2026

चौहददी:-

पूर्व-भूमि खसरासंख्या 302 एवं 299

पश्चिम-भूमि खसरासंख्या 300

उत्तर-भूमि खसरासंख्या 299

दक्षिण-भूमि खसरा संख्या 302

इसकेसाक्ष्य में, पार्टियों ने यहांऔरइसके समकक्षों के लिए निर्धारितकियाहैऔरनिम्नलिखितगवाहों की उपस्थितिमेंअपने-अपनेहस्ताक्षरकिए लखनऊमेंनीचेउल्लिखितदिन, महीनाऔरवर्ष।

लखनऊ।

दिनांकित:-31.03.2026

गवाह:-

1. संदीपकुमार सिंहपुत्र श्रीराजेन्द्रप्रसाद
निवासी-447 / 57, मिल्लतनगर के0डी0ए0 कालोनी,
गल्लामंडी,नौबस्ता,कानपुरउ0प्र0
मो0 नं0-7985241526
2. चन्दन सिंह रावतपुत्रश्रीकुन्दनसिंहरावत
निवासी-प्लॉट नं0-53 खसरा नं0-441, दसौली,बी.के.टी.
कुर्सीरोडगुडम्बा, लखनऊ उ0प्र0
मो0 नं0-8318990084



For Agrasheel Immigration, etc.

Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202600822014151

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11397

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अर्जुन,

[ARJUN

पुत्र श्री माता प्रसाद

निवासी: ग्राम जौरास तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 633B

विक्रेता: 2

श्री अखिलेश कुमार,

[AKHILESH KUMAR

पुत्र श्री बुद्ध लाल

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा बेली लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 344L

क्रेता: 1

श्री मे० अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा०लि० के द्वारा समरेन्द्र प्रताप सिंह,

[AGRASHEEL INFRATECH PRIVATE LIMITED

पुत्र श्री चंद्रभान प्रताप सिंह

निवासी: कार्यालय पता 910, 9 फ्लोर मकैटाइल हाउस के०जी० मार्ग कॉन्वैन्स प्लेस सेन्ट्रल देलही नई दिल्ली

व्यवसाय:

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 568N

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री संदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रस द

निवासी: 447/57 मिल्लतनगर के०डी०ए० कालोनी गल्ला मंडी गौबस्ता कानपुर उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री चन्दन सिंह रावत, पुत्र श्री कुन्दन सिंह रावत

निवासी: प्लाट सं० 53 खसरा सं० 441 दसौली बी०के०टी० कुर्सी रोड गुडम्बा लखनऊ

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलाल गंज

लखनऊ
31/03/2026

संजय कुमार गौतम

निबंधक लिपिक लखनऊ

31/03/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

प्रथमपक्ष / मालिक:-



(क)-अर्जुनपुत्रमाताप्रसाद
पता-ग्राम-जौरास, तहसील-हैदरगढ़,
जिला-बाराबंकी उ०प्र० ।





(ख)-अखिलेशपुत्र बुद्ध लाल
पता-ग्राम-बेली खुर्द, सठवारा, बेली,
लखनऊ उ०प्र० ।

दूसरापक्ष / निर्माता-

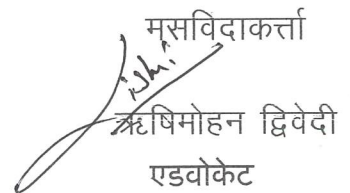
For Agrashree Infotech Pvt. Ltd.

अग्रशीलइन्फोटेक प्रा० लि०



टाईप्रकर्ता

एम० कुमार

मसविदाकर्ता

ऋषिमोहन द्विवेदी
एडवोकेट

आवेदन सं०: 202600822014151

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 19796 के पृष्ठ 185 से 206 तक क्रमांक 11397 पर दिनांक
31/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ

31/03/2026

